

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नलिखित व्याख्याता (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या	प्रकार
1	सुरेन्द्र प्रताप व्याख्याता, राउमावि डोलीकलां - बाड़मेर	इतिहास	07.08.2018 से 02.11.2018	90 दिन	अवैतनिक अवकाश

कार्मिक के 90 दिवस से अधिक के अवैतनिक अवकाश राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक-17/12/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/आरपीएससी/इति-वाणि/अ.अवकाश/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित शाला/संस्था/कार्मिक/प्रधानाचार्य
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अद्यतन हेतु
5. गार्ड पंजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर